कार्यालय
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखंड, ऑडिट भवन,
कौलागढ़, देहरादून-248195

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

**OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL(A&E),
UTTARAKHAND, AUDIT BHAWAN,
KAULAGARH, DEHRADUN-248195**

पत्रांकः 138-सा0प्र0/आई.टी. एस्सेट्स का निस्ता0/2025-26/ I/1185703/2025 दिनांकः 04-11-2025

सेवा में,
डाटा मैनेजर ,
आई0टी0एस0जी0 अनुभाग,
(स्थानीय)।

विषयः निविदा सूचना को कार्यालय के वेबसाईट पर Upload करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार संलग्न निविदा सूचना को कार्यालय की वेबसाईट https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/en पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न निविदा सूचना को कार्यालय की वेबसाईट https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/en पर अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

वरिष्ठ लेखाधिकारी/सा0प्र0

कार्यालय
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखंड
ऑडिट भवन,
कौलागढ़, देहरादून-248195

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL(A&E), UTTARAKHAND
AUDIT BHAWAN,
KAULAGARH, DEHRADUN-248195

पत्रांकः 138–सा0प्र0 / आई.टी. एस्सेट्स का निस्ता0 / 2025–26 / 210 दिनांकः 04.11.2025

अप्रयोज्य I.T. हार्डवेयर की विक्रय हेतु निविदा

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा पुराने एवं अप्रयोज्य I.T. हार्डवेयर सामग्री (Battery, Server, Photocopies xerox machine, Printer etc.) को जहां है, जैसे है के आधार पर निराकरण हेतु मुहर बन्द निविदायें आमंत्रित करता है। जिनको दिनांक 06.11.2025 तक कार्यालय कार्य दिवसों में बिना किसी व्यय के कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून में भौतिक रूप में देखा जा सकता है। निविदा की विस्तृत विवरण कार्यालय की वेबसाइट https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/en से डाउनलोड किया जा सकता है। मात्र वही फर्म/निविदाकर्ता निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकते है, जिन्होंने E-waste नियमों के अधीन अपनी फर्मों का रजिस्ट्रेशन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड में कराया हुआ है।

निविदायें इस कार्यालय में By hand या पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 07.11.2025 तक प्रेषित की जा सकती है। डाक से निविदा भेजने पर लिफाफे के ऊपर "I.T. अप्रयोज्य सामग्री हेतु निविदा" लिखना अनिवार्य है।

सक्षम प्राधिकारी किसी भी या सभी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन

अप्रयोज्य I.T. हार्डवेयर सामग्री की विक्रय हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें

1. भावी निविदाकर्ता/फर्म I.T. हार्डवेयर सामग्री (Battery, Server, Photocopies xerox machine, Printer etc.) सामग्री कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून में शनिवार एवं रविवार को छोड़कर दिनांक 06.11.2025 के मध्य निरीक्षण कर सकते है।

2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून या उनके द्वारा नामंकित व्यक्ति सामग्री को एकत्रित रखने या टुकड़ों में रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3. सामग्री को जहां है, जैसे है के आधार पर विक्रय किया जाना है।

4. सभी निविदाकर्ताओं को स्वयं निविदा से पूर्व सभी बिन्दुओं से संतुष्ट होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जायेगा। इच्छुक निविदाकर्ता/फर्म सामग्री का निरीक्षण कर सकते है। सामग्रियों को यह मानकर विक्रय किया जायेगा कि निविदाकर्ताओं ने सामग्रियों का निरीक्षण कर लिया है तथा वह जानते है कि वह पूर्व में निरीक्षण किये सामग्री को क्रय कर रहे है।

5. निविदाकर्ताओं को E-waste नियमों के अधीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उत्तराखण्ड प्रदूषण बोर्ड में पंजीकृत से सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

6. सभी निविदा सक्षम प्राधिकारी या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति के अनुमोदन के अधीन होंगे तथा निविदा तब तक खुले रहेंगे जब तक वह स्वीकार या अस्वीकार नहीं किये जाते है।

7. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरान्त घोषित सफल निविदाकर्ता को 03 दिनों के अन्दर पूर्ण राशि जमा किया जाना है। पूर्ण भुगतान प्राप्ति के बाद सामान्य प्रशासन अनुभाग सामग्री को कार्यालय परिसर से बाहर उठाने के लिए गेट पास जारी करेगा।

8. यदि सफल निविदाकर्ता इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो, सक्षम प्राधिकारी को निविदा रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।

9. एक स्थान पर पड़ी हुई सामग्री पूर्ण रूप से क्रेता के जोखिम पर रहेगी। जब से उन्हें खरीदा गया है तथा पूर्ण भुगतान हो जाने के उपरान्त दो दिन के भीतर बिना क्षतिग्रस्त किये वहां से हटाना/खाली करना होगा। सफल निविदाकर्ता कार्यालय से सामग्रियों को ले जाने हेतु आवश्यक वाहन/मजदूरों की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

10. सामग्रियों पर देय Municipal Dues, Exceise, GST, TCS etc. यदि ऐसा आवश्यक है तो, क्रेता को इसका भुगतान करना पड़ेगा।

11. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून उच्चतम किसी भी या अन्य Bid को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून बिना किसी कारण के किसी भी सामग्रियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(signature) 31/x/25

वरिष्ठ लेखाधिकारी/सामान्य प्रशासन